**संख्याः-39/2021/249/23-12-2021-1263(भूमि)/2013**

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1033बी0जी0/7बी0-मांग,इ0ने0बा0/2021-22, दिनांक 27.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के 04 चालू कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 4300.00 लाख (रू0 तिरालीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्रम सं0 | कार्य का नाम | खण्ड का नाम | शासनादेश संख्या | भूमि अधिग्रहण की पु0 लम्बाई | भूमि अधिग्रहण की मूल लागत | भूमि अधिग्रहण की पुनरीक्षित लागत | 31.03.21 तक आवंटन/ व्यय | 01.04.21 को अवशेष | वर्ष 2021-22 हेतु क्षेत्र से प्राप्त मांग | वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना के अंतर्गत जनपद बहराईच में रूपईडिहा-मुशीपुरवा से बी0पी0ओ0 समतलिया तक (लं0 20.363 किमी0 वास्तविक ल0 17.960) तथा लम्बी फारेस्ट बलई गांव से चितहवां तक (लं0 16.800 किमी0) के भूमि अध्याप्ति का कार्य। | नि0ख0-3 (इ0ने0बा0) बहराईच | 1682/23-12-2013-1291/2013 (आर) दि0 22.11.2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.2018 | 32.91 | 790.53 | 2508.18 | 991.71 | 1516.47 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना के अन्तर्गत ककरदही से तरसोमा, भरथा से गुज्जरगौरी (लं0 13.00 किमी0) जमुनहा ककरदरी भाग-ए (ल0 8.720 किमी0) तथा जमुनहा ककरदरी भाग-बी | नि0ख0-1 (इ0ने0बा0) श्रावस्ती (मु0 भिनगा) | 1683/23-12-2013-1263(भू0अ0) /2013 दि0 22.11.2013 एवं 34/18/726/23-12-18- | 28.96 | 608.96 | 2148.27 | 1137.96 | 1010.31 | 100.00 | 100.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (लं0 7.235 किमी0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण। | | 1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.2018 | | | | | | | |
| 3 | इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में मलगहिया-हरवंशपुर मार्ग का भाग के निर्माण कार्य (अटहवा घाट से पकहरिवा वाया भुसौला हरवंशपुर करामनी रामनगर ककहरवा धनबढ़वा) के भूमि अध्यासि का कार्य।<br>2-इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़नी-पकहरिवां मार्ग के निर्माण कार्य (सेमहरवा, महादेवा बुजुर्ग, लोहाती, कोटिया, धनौरा, कुनहवां) के भूमि अध्यासि का कार्य। | नि0ख0-2 (इ0ने0बा0) सिद्धार्थनगर | 1682/23-12-2013-1291/2013 (आर) ,दि0 22.11.2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.2018 | 59.35 | 8383.27 | 19986.18 | 16758.12 | 3228.06 | 1300.00 | 1300.00 |
| 4 | जनपद महाराजगंज में इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना के अन्तर्गत खैराघाट से झुलनीपुर पतलांवा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन का कार्य। | नि0ख0-1 (इ0ने0बा0) महराजगंज | 1681/23-12-2013-1341/2013 (आर) दि0 22.11.2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.2018 | 60.00 | 4388.84 | 18009.45 | 13470.51 | 4538.94 | 2200.00 | 2200.00 |
| | | **योग-** | | **181.22** | **14171.60** | **42652.08** | **32358.30** | **10293.78** | **4300.00** | **4300.00** |

(1) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि द्विरावृत्ति न हो।

(4) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के ''लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-06-इण्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था-00-60-भूमि क्रय'' मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

सं0-39/2021/249(1)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी, बहराइच, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज।
5. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/ इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनु0-10
9. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
10. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in